हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किये बिना ही बहस सुने जाने पर सहमति दी। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा० पत्र आदेश दिनांक 18.3.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ

18.3.25 पत्रावली पेश हुयी। प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नि. 11 सिविल प्रक्रिया संहिता पर विगत पेशी पर बहस सुनी जा चुकी है। प्रार्थी (प्रतिवादी। सं. 4) ने इस आशय का प्रा. पत्र प्रस्तुत किया है कि वादीगण का वाद मुताबिक सीपीसी पोषणीय नहीं है इसलिये खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी ने विवादित आराजी के इकरारनामा होकर इसके संबधं मे विभिन्न कथन वर्णित किये है। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रा. पत्र प्रस्तुत नही किया गया है।

दौरान बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रमुख रूप से कथन किया कि वाद इकरारनामे के आधार पर लाया गया है जो कि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही होने से खारिज योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रमुख रूप से कथन किया कि इकरारनामा होने के उपरान्त भी नियत दिनांक को प्रतिवादी विवादित आराजी का बेचान करने नही आये इनके मन मे छल कपट आ गया तथा मौके पर कानून व्यवस्था खराब होने की संभावना के मद्देनजर मेरे द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया वाद पत्र तथा प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नि. 11 सीपीसी के अवलोकन एवं बहस से यह स्पष्ट होता है कि वाद इकरारनामे के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो कि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नि. 11 सीपीसी स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ